न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
22/4/2022	पत्रावली स्थित है। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील को नोटिस भिजवायी गयी। नोटिस मिलने के बावजूद वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं रखते हैं। अतः मु०न० 27/14 बाबा सत्तार बनाम रामस्वरूप को प्रथम दृष्टया व अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है। पत्रावली कैन्सल होकर रिकार्ड रूम में रखी जाये।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Ve
Digitally signed by A
Date: 2022.06.23 11
Reason: SelfAttested